

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप ग्रुप-डी-11 के अनुरूप प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष की वर्ष 2015-16 में विभागीय पदोन्नति समिति ने निम्नांकित अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16/17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण इनका चयन निर्णय बंद लिफाफे में रखा गया था। इनके विरुद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्णयापरान्त इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/ माध्य/संस्था/बी-111/डीपीसी/प्रधानाचार्य/15-16 दिनांक:- 27.06.2017 द्वारा चयनित किये जाने के फलस्वरूप इनका पदोन्नति पर पदस्थापन इनके नाम के सामने अंकित कार्यालय/विद्यालय-उमावि में प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

निम्नांकित कार्मिक कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा को राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-प.7(1) कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/10) के प्रावधानानुसार 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोपति से दो या दो से अधिक सन्तान न होने से संबंधित घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यभार ग्रहण अनुमत किये जाने से पूर्व पदोन्नत अधिकारी का नाम, वरियता क्रमांक एवं वर्ष, जन्मतिथि धारित अर्हता एवं वर्तमान धारित पद व स्थान का मिलान सुनिश्चित करेंगे अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी।

क स	वरिष्ठता क्रमांक	वर्ष	नाम	वर्तमान पदस्थापन	जिला	पदोन्नति पर पदस्थापन	ज.ति	
1	2082	102	95-98	अशोक वर्मा, एबीईईओ	बीईईओ,गिर्वा उदयपुर	udaipur	टेकन-लसाडिया उदयपुर	15.12.1957

यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति का परित्याग/फोरगो करना चाहता हो तो लिखित में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा(नियोक्ता अधिकारी) को विभागीय ई-मेल absecsecedu@gmail.com पर प्रेषित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को प्रति देनी आवश्यक होगी। पदोन्नति पर नवपदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अन्तिम तिथि:- 17.07.2017 नियत की जाती है।



(नथमल डिलेल)
आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक- शिविरा/मा/संस्था/बी-2/प्रधानाचार्य/15-16/2016
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत-

01. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार)
04. उपनिदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक उदयपुर
05. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक उदयपुर
06. प्रधानाचार्य राउमावि, टेकन लसाडिया उदयपुर।
07. बीईईओ-गिर्वा उदयपुर
08. अशोक वर्मा, एबीईईओ, बीईईओ-गिर्वा उदयपुर
09. सहायक निदेशक, वरिष्ठता/संस्था/सी/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जॉच/प्रभारी बी-3
10. निजी एवं रक्षित पत्रावली।

दिनांक 17.07.2017
07.07.2017


संयुक्त निदेशक-कार्मिक